

प्रतिवेदन

प्रयोजना का नाम: जनपद नैनीताल में छीड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त मार्ग के स्वीकृति शासनादेश संख्या 796/102-2/06-15 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 28.03.2006 द्वारा 6 किमी लम्बाई हेतु रु. 103.50 लाख की प्राप्त है/प्रदान की गयी है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर नोडल अधिकारी वन विभाग देहरादून के पत्र संख्या 587/1 जी-3229(नैनी) दिनांक 04.09.2010 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 8 वी/मू.सी.पी./06/262/2010/एफ.सी./963 दिनांक 07.10.2010 द्वारा प्रस्ताव निरस्त/पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों एवं स्थानीय जनता की लम्बे समय से मोटर मार्ग की मांग किये जाने के कारण नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 2676/1 जी-3229 (नैनी) दिनांक 28.05.2012 द्वारा भारत सरकार को सूचना प्रेषित की गयी, भारत सरकार के पत्र संख्या 8 वी/मू.सी.पी./06/262/2010/एफ.सी./208 दिनांक 05.05.2013 द्वारा पुनः प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए स्थानीय जनता की मांग के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण नितान्त आवश्यक होने के कारण 1.26 हैक्टेयर का प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जा रहा है। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अनुमोदन करने की कृपा करें।

अतः 1.26 हैक्टेयर का संशोधित प्रस्ताव पुनः गठित कर स्वीकृति हेतु सेवा में प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
संस्थापक बसिबस्ता
संस्थापक, लो. नि. वि.
धरवाही (रैबीलाब)


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
लो.नि.वि., भवाली